न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 177/2024

अनवान :

1. अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र वर्मा जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. राजपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील रविन्द्र मोठसरा : **वादीगण**

वकील श्री सलमान खान : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 19/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 24/67 के ख0सं0 365/1 की कुल 13.1940 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण ने प्रतिवादी को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम जाटान खाता संख्या 24/67 सम्वत 2073-76 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम जाटान खाता संख्या 71/67 सम्वत 2073-2076 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जाटान प्रदर्श 3, शपथ पत्र रामचन्द्र पुत्र पूर्णमल प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने [illegible] को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.29 11:57:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 24/67 के ख0सं0 365/1 की कुल 13.1940 है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 24/67 के ख0सं0 365/1 की कुल 13.1940 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में वादी संख्या 1 अशोक कुमार, वादी संख्या 2 राजपाल तथा प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.29 11:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 177/2024

अनवान :

1. अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र वर्मा जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. राजपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सलमान खान की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 24/67 के ख0सं0 365/1 की कुल 13.1940 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र अकेले की बजाय वादी संख्या 1 अशोक कुमार, वादी संख्या 2 राजपाल तथा प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र को हिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.29 11:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner